



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052025-262901
CG-DL-E-05052025-262901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1968]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2025/वैशाख 15, 1947

No. 1968]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2025/VAISAKHA 15, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2025

का.आ. 2012(अ).— केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे सारणी में उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाइयों ने आधार (वित्तीय और अन्य सहृदायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन किया है, और ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है तथा आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तथा समुचित विनियामक, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त रिपोर्टिंग इकाइयों को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन कार्य करने के लिए अनुज्ञात करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्यांक	इकाई का नाम
(1)	(2)
1.	ओक्सीजो फाइनेंसियल सर्विस लिमिटेड
2.	बेरार फाइनेंस लिमिटेड
3.	फिनकर्व फाइनेंसियल सर्विस लिमिटेड
4.	टाटा कैपिटल लिमिटेड
5.	बोबकार्ड लिमिटेड

[फा. सं. पी-12011/11/2021-ईएस सेल-डीओआर-भाग (1)]

शंकर लाल कुमावत, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2025

S.O. 2012(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government, on being satisfied that the reporting entities mentioned in the TABLE below shall comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Aadhaar Act), and it is necessary and expedient to do so, after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator, namely, the Reserve Bank of India, hereby permits the said reporting entities to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

TABLE

Serial number	Reporting entity
(1)	(2)
1.	Oxyzo Financial Services Limited
2.	Berar Finance Limited
3.	Finkurve Financial Services Limited
4.	Tata Capital Limited
5.	BOBCARD Limited

[F. No. P-12011/11/2021-ES Cell-DOR-Part(1)]

SHANKAR LAL KUMAWAT, Director (Hqr.)